

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड  
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 17 / 2015

संस्थापन दिनांक 18.12.2015

फाईलिंग नंबर-230303019902015

बाबूराम पुत्र रघुवरदयाल आयु 65 साल  
जाति बारी निवासी ग्राम बिरखडी परगना  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / प्रतिवादी

वि रु द्ध

सुखदेवी पत्नी श्रीधर आयु 65 साल जाति  
ब्रा0 निवासी ग्राम बिरखडी परगना गोहद  
जिला भिण्ड

.....प्रत्यर्थी / वादी

न्यायालय- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद द्वारा  
व्यवहार वाद क्रमांक-75ए/15इ0दी0 में पारित  
आदेश दिनांक19.11.2015 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता

**-:- आ दे श -:-**

(आज दिनांक **04.07.2016** को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी / प्रतिवादी ने यह अपील श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक-75ए/15 इ0दी0 में दिनांक 19.11.15 को पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी / प्रत्यर्थी श्रीमती सुखदेवी को ग्राम बिरखडी तहसील गोहद स्थित सर्वे क्रमांक-2711 रकवा 1.71, 2712 रकवा 0.16 है0 एवं सर्वे क्रमांक-2690 रकवा 0.17 है0 का दिनांक 27.02.1997 को न्यायालय तहसीलदार गोहद के द्वारा प्र0क0-44/96-97अ-19 में व्यवस्थापन हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि उक्त व्यवस्थापन के विरुद्ध एस0डी0ओ0 गोहद के न्यायालय में अपील क्रमांक-39/2013-14 विचाराधीन है। यह भी स्वीकृत है कि उक्त भूमि शासकीय भूमि थी।
3. विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी / वादी द्वारा अपीलार्थी / प्रतिवादी के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक

आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बिरखडी परगना गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-2712 क्षेत्रफल 0.16, सर्वे क्रमांक-2690 क्षेत्रफल 0.17 का वादी भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि उसे न्यायालय तहसीलदार परगना गोहद के प्र0क0-44/96-97अ-19 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1997 के अनुसार व्यवस्थापन के द्वारा प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त भूमि से लगी हुई प्रतिवादी क0-1 की कोई भूमि नहीं है। दिनांक 15.07.15 को वादीउसके पुत्र विश्वनाथ के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि को देखने गयी थी तभी उसे प्रतिवादी बाबूराम मिला और उसने वादी को धमकी दी कि वह वादी को वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करने देगा और उसे वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगा। अतः प्रथमदृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी उसके पक्ष में है अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल न करें एवं वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें न करावें, इसआशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा अपने पृथक जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि थी जिसमें ग्रामवासियों एवं प्रतिवादी के खेतों में पानी देने के लिये जल संसाधन विभाग की कूल बनी हुई है। वादी ने गोपनीय रूप से राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन कराया है जिसकी अपील प्रतिवादी द्वारा एस0डी0ओ0 गोहद के न्यायालय में की गई जो कि अभी न्यायालय एस0डी0ओ0 गोहद के समक्ष प्र0क0-39/13-14/अपील माल के रूप में विचाराधीन है। दिनांक 15.07.15 को प्रतिवादी/अपीलार्थी ने कोई धमकी वादी को नहीं दी। इस प्रकार वादी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या मामला है न ही सुविधा का संतुलन है और न ही अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त ही उसके पक्ष में है। अतः अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत होकर काबिल निरस्ती है। तथाकथित दाविया भूमि भाग का शासकीय होना प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है क्योंकि तथाकथित तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक से स्पष्ट दर्शित है कि दाविया भूमि शासकीय थी और उक्त भूमि किसी के भी भूमि स्वामित्व की नहीं थी तथा वादिया/प्रत्यर्थी ने व्यवस्थान कराई है और वादिया/प्रत्यर्थी की पैतृक या क्रय की गई भूमि नहीं है। इस तथ्य के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीरतापूर्वक विचार किये वगैर आवेदन/आवेदिका प्रत्यर्थी प्रथम दृष्टि में आवेदिका/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा गलत रूप से जारी की गई अतः आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है। अपीलार्थी/प्रतिवादी अनावेदक ने अपने जवाबदावा में उक्त तथाकथित भू भाग जल संसाधन विभाग द्वारा कूल बनाकर सिंचाई कृषकों की भूमि में की जाने का उल्लेख किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक महत्व जल उपयोग के संबंध में अनदेखी करता था। जल संसाधन विभाग से कोई जानकारी मांग वगैर तथाकथित आलोच्य आदेश पारित करने में भूल की है।

6. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि उनके द्वारा जवाब दावे में अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त आपत्ति के

माध्यम से उल्लेख किया है कि वादिया/प्रत्यर्थी एवं उसके पुत्र द्वारा जल संसाधन विभाग एवं राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को रोकने हेतु स्थगन चाहने बाबत अन्य प्रकरण ही सिविल न्यायालय में संचालित है, उल्लेख किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रकरणों की स्थिति के संबंध में कोई जानकारी चाहे वगैर वादिया/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.15 निरस्त किया जावे।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि -

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा प्रत्यर्थी/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त किए जाने योग्य है ?”

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

9. प्रतिवादी/अपीलार्थी बाबूराम की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी श्रीमती सुखदेवी को जिस भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार द्वारा किया गया था वह असत्य आधारों पर है क्योंकि शासकीय भूमि थी और सुखदेवी का व्यवस्थापन नहीं हो सका था। सुखदेवी के विरुद्ध राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की गई हैं और उसकी अपील भी विचाराधीन है तथा लगी हुई भूमि अपीलार्थी की है। जिस भूमि का व्यवस्थापन है उस पर वादी/अपीलार्थी की कोई कब्जा कास्त नहीं है बल्कि जल संसाधन विभाग की सिंचाई की कूल बनी हुई है जिसे अनदेखा करते हुए व्यवस्थापन किया गया है। इस कारण उसे चुनौती देते हुए अपील की गई और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को देखे वगैर आलोच्य आदेश पारित कर दिया है जो कि अवैध व अनुचित होने से अपास्त किया जावे। और वादिया/प्रत्यर्थी सुखदेवी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जावे।

10. इस संबंध में प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जल संसाधन विभाग की कूल बनी होना तथा अपनी निजी भूमि लगी हुई होना बताया है। उसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है और व्यवस्थापन सन् 1997 का है जिसकी एस0डी0ओ0 को अपील अवधि बाहर की गई और कोई स्थगन जारी नहीं हुआ। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये आलोच्य आदेश विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य है और अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जावे।

11. उभयपक्षों के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश मुताबिक वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रचलित की है कि

वादी/प्रत्यर्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादी/अपीलार्थी कोई हस्तक्षेप न करें न ही उसे बेदखल करने का प्रयास करें। जो कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी/प्रत्यर्थी सुखदेवी के स्वामित्व व आधिपत्य को प्रथम दृष्ट्या मानते हुए निर्णीत किया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि श्रीमती सुखदेवी को तहसीलदार गोहद के द्वारा दिनांक 27.02.1997 को न्यायिक आदेश पारित करते हुए व्यवस्थापन वादग्रस्त भूमि का किया गया था तथा वादिया सुखदेवी ने व्यवस्थापन आदेश के आधार पर हुए राजस्व इन्द्राज से संबंधित खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तथा अभिलेख भू-अधिकार ऋण पुस्तिका पेश की। अपीलार्थी/प्रतिवादी बाबूराम की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसकी उक्त भूमि से लगी हुई कृषि भूमि है और जिस भूमि का व्यवस्थापन किया गया उसमें जल संसाधन विभाग की सिंचाई की कूलें बनी हुई हैं जिससे कृषक अपने खेतों की सिंचाई करते थे। किन्तु अभिलेख पर अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई राजस्व अभिलेख इस बाबत पेश नहीं किया गया है न ही कोई नक्शा अर्खा पेश किया है। जो यह दर्शित करती हो कि वादी/प्रत्यर्थी सुखदेवी के पक्ष में व्यवस्थापित की गई भूमि सर्वे क्रमांक-2711, 2912 एवं 2990 की भूमि में जल संसाधन विभाग की सिंचाई की कूल निर्मित हो और उससे प्रतिवादी/अपीलार्थी की भूमि लगी हो।

13. प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में खण्डन स्वरूप केवल अपना शपथ पत्र पेश किया है जो कि पर्याप्त नहीं है क्योंकि वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया था। जो राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख पर उपलब्ध है जिसके आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया था। उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वादी/प्रत्यर्थी सुखदेवी के हित में हुआ व्यवस्थापन विधिसम्मत है या नहीं, इस स्तर पर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके संबंध में एस0डी0ओ0 गोहद के न्यायालय में अपील माल क्रमांक-39/13-14 विचाराधीन है जिसमें उसका निराकरण होगा। इसलिये प्रथम दृष्ट्या व्यवस्थापन को इस स्तर पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। न ही उसकी आवश्यकता है। बल्कि व्यवस्थापन को हुए करीब 19 साल से अधिक समय हो चुका है और खसरा खतौनी में वादी/प्रत्यर्थी का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी के रूप में इन्द्राज है। वादी/प्रत्यर्थी ने काल्पनिक तथ्यों के आधार पर या मनगढ़न्त वाद कारण दर्शाते हुए दावा कर दिया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी सुखदेवी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने हेतु तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति का सिद्धान्त मान कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये आलोच्य आदेश पुष्टि योग्य है।

14. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मूल वाद विचारण के स्तर पर है क्योंकि उसमें वादी की ओर से मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया जा चुका है और प्रकरण का शीघ्र निराकरण संभव है। जो बिन्दु उठाये गये हैं वह गुण-दोषों की विषयवस्तु से संबंधित हैं जिनका साक्ष्य उपरान्त ही निराकरण संभव है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/अपीलार्थी बाबूराम द्वारा प्रस्तुत विविध सिविल अपील के माध्यम से लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु इस स्तर पर महत्वहीन हैं और अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त करने हेतु सुदृढ़ नहीं माने जा सकते हैं। फलतः प्रस्तुत की



गई विविध सिविल अपील सारहीन मानते हुए उसे निरस्त कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

15. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक— **04.07.16**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)